

सोशल

मीडिया

सेल

आजमगढ़

पत्र सं०- 233/21

दिनांक- 21 मई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-अहरौला

**25 हजार का ईनामिया अभियुक्त, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार**

जनपद में थाना पवई एवं दीदारगंज में जहरीली शराब पीने से हुई मौतो के सम्बन्ध में थाना पवई मे मु०अ०सं० मु०अ०सं० 58/21 धारा 419/420/467/468/471/272/273/120- B भादवि व 60Aआबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं थाना क्षेत्र में अपमिश्रित शराब पीने से हुई मौतो में सलिस अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु दिये गये कड़े निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.05.2021 को थानाध्यक्ष अहरौला मय हमराह द्वारा मु०अ०सं०-58/21 से सम्बन्धित अभियुक्तो की गिरफ्तारी एव अवैध शराब की बरामदगी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम फुलवरिया के पास से एक नफर अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी मित्तूपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को एक अदद कट्टा 0.315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर के साथ समय लगभग 05.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके उपर पूर्व में ही 25 हजार रुपये का ईनाम भी घोषित है । अवैध असलहे की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु०अ०सं० 72/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

मु०अ०सं० 72/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग**

मु०अ०सं० 72/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

**आपराधिक इतिहास**

1.मु०अ०सं० 58/21 धारा 419/420/467/468/471/272/273/120- B भादवि व 60Aआबकारी अधिनियम थाना पवई जनपद आजमगढ़ ।

2.मु०अ०सं० 72/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अहरौला आजमगढ़

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

बृजेश कुमार पुत्र रामधनी गुप्ता निवासी मित्तूपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

**बरामदगी**

एक अदद कट्टा 0.315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश शुक्ल ,उ०नि० श्री जावेद अख्तर, हे०का० अरविन्द सिंह, हे०का० मनीष कुमार यादव, का० शिवम कुमार, रि० म०का० सन्ध्या सिंह

थानाध्यक्ष पवई श्री बृजेश सिंह मय, उ०नि० बीरेन्द्र यादव , का० राहुल पाल ,का० कृष्ण कुमार, महिला का० कंचन पाण्डेय

**नोट:- गिरफ्तार अभियुक्त बृजेश पर पूर्व में ही पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा 25,000/- रुपये का ईनाम भी घोषित है ।**